(217)

(341) II/निग०/रीवा/2018/0207

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

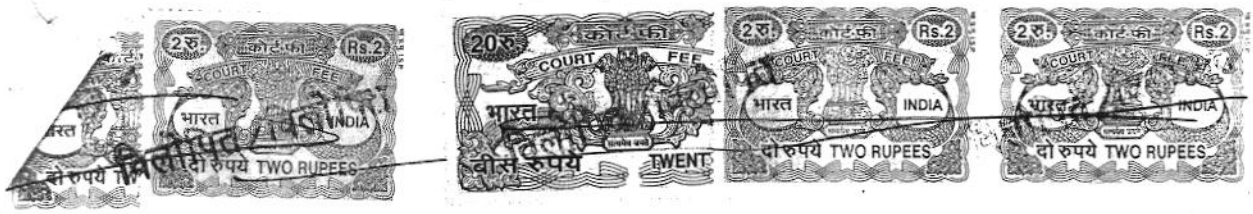

R8.30/-

रामउजागर मिश्र तनय रामनिरंजन मिश्र निवासी ग्राम मांजन मानिकराम(खटखरी) तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0 —— आवेदक

बनाम

1– आदित्य तनय अरूण प्रकाश ब्रा0 निवासी ग्राम मांजन मानिकराम तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0

—— अना0गण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 03/11/17 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी तह0 हनुमना जिला रीवा के प्र0क0 27/अ–3/15–16 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0सन् 1959ई0

अधि0 श्री ओ0पी0 मिश्रा, द्वारा पेश/ 02-01-18

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित है:–

1– यह कि मातहत अदालत द्वारा पारित प्रश्नास्पद आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

2– यह कि मातहत अदालत में जो मांग पत्र श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर रीवा के न्यायालय से जारी किया गया उसको प्राप्त होने पर भी स्वेच्छाचारिता पूर्वक आदेश दे दिया गया और फाइल नहीं भेजी गई।

3– यह कि जब उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी भूमि के सम्बन्धित विवाद नामांतरण का दायर है तब नक्शा तर्मीम की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

4– यह कि मातहत अदालत ने दिनांक 06/06/08 के आदेश का कियान्वयन करने का जो आदेश दिया है उसके विपरीत कार्यवाही की गई है क्योंकि भूमि नं0 172/2 रकवा 0.04 डि0 का ही नक्शा तर्मीम हुआ है । 172/1 एवं 172/3 का नक्शा तर्मीम नहीं हुआ है जबकि दिनांक 06/06/08 के आदेश में साफ लिखा है कि 172/1, 172/2 एवं 172/3 तीनों नम्बर की कार्यवाही एक साथ होनी चाहिये पर ऐसा नहीं किया गया ।

5– यह कि दिनांक 28/09/17 का आदेश अपील प्रकरण की प्रचलनशीलता के बारे में है न कि गुणा–गुण पर आदेश पारित किया गया है उसकी अपील अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में लम्बित है । पेशी दिनांक 26/12/17 नियत है। यह जानते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानी रूप से भेदभाव पूर्ण आदेश पारित किया है। प्रकरण कमांक 163/अ 6/05–06 निर्णय दिनांक 30/03/2006 निगरानीकर्ता

(217)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग./72-री./2018/207 जिला रीवा

रामउजागर मिश्रा विरूद्ध आदित्य

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ओ.पी.मिश्रा अधिवक्ता के द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 27/अ-3/15-16 में पारित आदेश दिनांक 03-11-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	